

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

10 सफाई मित्रों का 1 दिवस व 3 का आधे दिवस का वेतन काटा बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त रतलाम 15 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 10 व दोपहर में 3 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में लखन. रविन्द्र ए अजय.विनोद ए विककी.दिनेष ए गंगाबाई पति कमलेश ए अमन.रमेश ए विषाल. प्रहलाद ए झोन क्रमांक 3 में हेमलताबाई पति मुकेश ए शुभम्.राजू ए झोन क्रमांक 4 में सुनिताबाई पति राजकपूर ए जितेन्द्र.बेजूलाल इस तरह 10 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 2 में राजेश.कैलाष ए झोन क्रमांक 4 में झोन क्रमांक 4 में दीपिका पति दिलीप ए इन्द्राबाई पति कांतिलाल द्वारा अनुपस्थित पाये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

दिलीप नगर में डिस्पोजल हाउस पर 5000 का किय जुर्माना

19 किलो पॉलीथीन की जब्त

75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 15 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत दिलीप नगर क्षेत्र में डिस्पोजल हाउस पर तय मानक के विपरित 19 किलो पॉलीथीन पाये जाने पर पॉलीथीन को जब्त कर संबंधित पर 5000 की राशि का जुर्माना स्पॉट फाईन दल द्वारा किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ,पॉलीथीन निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छता संदेशों की चित्रकारी से नागरिकों को दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश

रतलाम 15 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत शहर को स्वच्छता के संदेशों से सजाया जा रहा है । शहर में कई तरह के आकर्षक होर्डिंगए लगाए जा रहे हैं एवं स्वच्छता के प्रति शहर वासियों को जागरूक किया जा रहा है।इसी के अंतर्गत शहर

की सार्वजनिक दीवारों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के संदेशों से सजाया जा रहा है एवं साथ ही निगम की गाड़ियों पर भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से जुड़े संदेश लिखे जा रहे हैं ताकि इस सर्वेक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

नगर निगम के विभिन्न करों से 17^ए23 लाख हुआ राजस्व प्राप्त रतलाम 15 फरवरी । संपत्तिकर^ए जलकर^ए लायसेंस^ए राजस्व^ए विकास शाखा^ए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 15 फरवरी मंगलवार को कुल राशि रूपये 17^ए23^ए050^ए६ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 15 फरवरी मंगलवार को संपत्तिकर शिविर से 162036^ए कार्यालय 286706^ए वसूली दल 182166 कुल 630908^ए जलकर शिविर 51890^ए कार्यालय 15320^ए वसूली दल 293240 कुल 360450^ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 6996 व वसूली दल 59000 कुल 65996^ए लीजरेंट 59048^ए कम्पाउडिंग 601998^ए स्पॉट फाईन 4650 इस तरह कुल राशि रूपये 17^ए23^ए050^ए६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

खुले में गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 15 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं^ए मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 15 फरवरी को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रहवासी क्षेत्र में पशुपालन करने व गंदगी करने पर चांद खां बंजारा कालोनी अलकापुरी पर 2000^ए आषमीन बी बंजारा कालोनी अलकापुरी पर 1000 व खुले में गंदगी करने पर श्याम परमार अलकापुरी अम्बे चौक पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

सायर चबुतरा पर आज लगोगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 75०02 लाख व जलकर 18०08 लाख की
बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 15 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से
संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये
गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए
दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की
किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर
षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822ए. व जलकर 54ए850ए.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा
षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575ए. व जलकर 34ए520ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता
मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013ए. व जलकर 63ए450ए.ए विनोबा नगर
षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292ए. व जलकर 1ए19ए720ए.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल
षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857ए. व जलकर 62ए950ए.ए तिरूपति नगर षिविर में
संपत्तिकर 1ए28ए977ए. व जलकर 28ए870ए.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर
2ए16ए000ए. व जलकर 14ए000ए.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर
में संपत्तिकर 2ए51ए600ए. व जलकर 1ए04ए640ए.ए कस्तुरबा नगर षिविर में
संपत्तिकर 8ए61ए206ए. व जलकर 1ए21ए090ए.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में
संपत्तिकर 2ए14ए000ए. व जलकर 47ए000ए.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर
2ए54ए422ए. व जलकर 83ए700ए.ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500ए. व
जलकर 27ए540ए.ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ए. व जलकर
40ए240ए.ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ए. व जलकर 31ए760ए.ए

काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ए व जलकर 72ए440ए.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534ए. व जलकर 37ए465ए.ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732ए. व जलकर 36ए660ए.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ए. व जलकर 92ए125ए.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298ए. व जलकर 64ए770ए.ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241ए. व जलकर 28ए140ए.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920ए. व जलकर 1ए56ए600ए.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338ए. व जलकर 1ए67ए280ए.ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541ए. व जलकर 76ए625ए.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807ए. व जलकर 37ए520ए.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836ए. व जलकर 72ए860ए.ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741ए. व जलकर 37ए140ए. पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036ए. व जलकर 89ए570ए.ए चौगानिया भैरु मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91ए157ए. व जलकर 46ए510ए.ए सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036ए. व जलकर 51ए890ए. की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

15 फरवरी को 72 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 15 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 15 फरवरी मंगलवार को 72 टन कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

15 फरवरी मंगलवार को डम्पर से 26840ए टे^० कटर से 8555ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15140ए काम्पेक्टर गीला कचरा 14305ए मैजिक सूखा 3910 व मैजिक गीला 3615 किलो इस तरह कुल 72365 किलो कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 15 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 15 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 196० हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 15 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 15 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए

गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविण्हेमन्त15022022नपाणिगमए रतलामण